# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

अपील संख्याः–07/2019 भरण पोषण अधिनियम

शारदा देवी पत्नी स्व. श्री खेमचंद शर्मा आयु 75 वर्ष निवासी गली नं. 05 शिव मंदिर के सामने वार्ड नं. 24, संगरिया हाल आबाद मकान नं. 74 वार्ड नं. 37 श्री रामतंवर कॉलोनी टैक्सी स्टेण्ड के सामने संगरिया रोड़, हनुमानगढ़ जंक्शन।

––अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया।
2. गायत्री देवी पत्नी रत्नेन्द्र भारद्वाज पुत्री स्व. देशराज शर्मा गली नं. 05, शिवमंदिर के सामने वार्ड नं. 24, संगरिया हाल कार्यरत अध्यापिका टिन्नी टॉयज स्कूल, वाटर वर्क्स के सामने संगरिया।

––रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 16.08.2019 न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ प्रकरण संख्या–74/2019 अनवानी शारदा देवी बनाम गायत्री देवी के सम्बन्ध में।

निर्णय दिनांकः–28.10.2021

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया द्वारा उपखण्ड मजिट्रेट, संगरिया के यहां परिवाद प्रस्तुत किया, जिसमें निवेदन किया कि परिवादिया के नाम से वार्ड नं. 24 संगरिया में 20 गुणा 60 वर्गफुट का आवासीय मकान निर्मित शुदा है जो परिवादिया की स्वअर्जित सम्पत्ति है इस सम्पत्ति से परिवादिया ने रेस्पोडेन्ट संख्या 02 गायत्री तथा उसके पति रत्नेन्द्र को वर्ष 2000 में बदखल किया हुआ है, जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 02 गायत्री स्वीकार भी करती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 उक्त आवासीय मकान पर जबरदस्ती निवास कर रही है और अपीलार्थीया को अपने स्वयं के मकान में लैट्रीन बाथरूम, पीने का पानी आदि आवश्यक सुविधाओं का उपभोग नहीं करने दे रही, जबकि अपीलार्थीया अपनी बुढ़ापे के समय अपने मकान में निवास कर आवश्यक सुविधाओं का उपभोग करना चाहती है, लेकिन रेस्पोडेन्ट सं. 02 गायत्री तथा उसका जीजा किरण कुमार जो कि बाल विकास विभाग, संगरिया मे लिपिक के पद पर कार्यरत है, यह दोनो अपीलार्थीया को मानसिक तथा शारीरिक रूप से परेशान कर क्रता करते है, उक्त मकान अपीलार्थीया ने अपनी गाढ़ी कमाई से पेट काट–काट कर बचत करके बनाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 गायत्री ने कभी भी अपीलार्थीया की सेवा नहीं की, बल्कि अपीलार्थीया की सभी मूलभूत सुविधाएं छीन ली है। अपीलार्थीया ने अधिनस्थ न्यायालय में यह भी कथन किया था कि अपीलार्थीया को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 305/2018 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2018 से मूलभूत सुविधाएं जैसे लैटरीन, बाथरूप, पीने का पानी, सीढ़ी आदि दिलाने का आदेश दिया हुआ है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने तथ्यों के विपरीत जाकर तथा सम्बन्धित विधि का अवलोकन किए बिना मात्र इस आधार पर परिवाद को खारिज किया कि जिस प्रकरण में एक बार अंतिम निर्णय हो गया हो उन्ही तथ्यों पर पुनः प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इस विवेचना के साथ अपीलार्थीया का परिवाद खारिज कर दिया, अधिनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश निम्न आधारों पर अपास्त योग्य है–

अधिनस्थ न्यायालय ने भरण–पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 व 2010 की मंशा को नहीं समझा, जबकि यह अधिनियम पूर्ण रूप से माता–पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के हितार्थ बना है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अपीलार्थीया की मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने की मांग जो कि विधिपूर्ण है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त किया जाना था, किन्तु इस दिशा में पीठासीन अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया इसलिए आदेश जेर अपील आपस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस मामले में मैरिट (गुणावगुण) पर विचार नहीं किया बल्कि पूर्व में मामला निस्तारित हो जाने के कारण परिवाद को खारिज कर दिया, जबकि न्यायालय का दायित्व बनता था कि परिवादिया को सभी मूलभूत सुविधाओं जो दी जानी थी, वह मिल रही है अथवा नहीं? हालांकि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से अपीलार्थीया के पक्ष में निस्तारित रिट याचिक संख्या 305/18 में पारित निर्णय 12.11.2018 की पालना को भी सुनिश्चित नहीं किया, ऐसी स्थिति में निर्णय जेर अपील अपास्त योग्य है। अपीलार्थीया को आदिनांक तक उक्त आवासीय मकान में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है बल्कि अब जो एक कमरा दिया है वह पूर्व के धारणाधिकार से कम है। अपीलार्थीया को दिए गए कमरे में मूलभूत सुविधाएं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 गायत्री ने बंद कर रखी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीया को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया है मामले को मैरिट पर नहीं सुना ऐसी अवस्था में अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीया के परिवाद को खारिज करने में अपना निर्णय बिना सोचे समझे एवं गम्भीरता से विचार किए बिना पारित किया है इसलिए अपास्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 02 गायत्री प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका है जिसने अपीलार्थीया के पुत्र रत्नेन्द्र जो कि बेरोजगार है को उक्त मकान से निकाल रखा है। अपीलार्थीया के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका संख्या 305/2018 में पाति निर्णय दिनांक 12.11.2018 से श्रीमान को आदेश प्रदान किए कि आदेश दिनांक 11.10.2017 की पालना सुनिश्चित की जावे। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की पालना हेतु अपीलार्थीया ने समय–समय पर श्रीमानजी को, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया, आयुक्त नगर पालिका संगरिया तथा समाज कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ़ को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किए जिनकी प्रतियां बाद में प्रस्तुत की जावेगी इन प्रार्थना पत्रों पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने की अवस्था में अपीलार्थीया द्वारा दिनांक 03.05.2019 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया के यहां भरण–पोषण सम्बन्धी परिवाद प्रस्तुत किया इसलिए उक्त परिस्थितियों में पुनः परिवाद प्रस्तुत करने में कोई विधिक बाध्यता नहीं है जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने पुनः परिवाद प्रस्तुत को वर्जित मान कर अपना निर्णय पारित किया है वह अपास्त योग्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बहुत से ऐसे निर्णय पारित किए जा चुके है जिसके अनुसार कोई भी बहु अपनी सास की सम्पत्ति जो कि उसकी स्वअर्जित हो, से कोई हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अपीलार्थीया को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.08.2019 की प्रतिलिपी दिनांक 20.09.2019 को प्राप्त हुई है इसके पश्चात अपीलार्थीया बिमार हो गई थी तथा घरेलु उपचार लेती रही, लेकिन स्वस्थ नहीं हुई। दिनांक

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

30.09.2019 तथा पुनः दिनांक 09.10.2019 को राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ से ईलाज लिया परन्तु ठीक नहीं हुई है। अब स्वस्थ होने पर कागजात एकत्रित कर अनुभवी वरिष्ठगण से राय लेकर अब बिना देरी अपील दायर की जा रही है। अपीलार्थीया द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.08.2019 अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थीया का समस्त मकान का कब्जा मय मूलभूत सुविधाएं को प्रदान करने का आदेश दिया जावे। विकल्प में प्रकरण को रिमाण्ड कर अधिनस्थ न्यायालय को गुणावगुण आधार पर निर्णय नए सिरे से पारित करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अपीलांट जरिये वाद मित्र श्री रमेश दर्गन एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 जरिये वाद मित्र श्री राजीव कुलश्रेष्ठ उपस्थित आये। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस को सुना गया। बहस सुनी गई। न्यायमित्र अपीलांट द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

दोनो पक्षकारो के कथनो पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2019 के विरूद्ध माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 15–16 के तहत की गई है। अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया में परिवाद सं. 46/2016 पूर्व में पेश किया गया था जिसका निस्तारण 04.07.2017 को किया गया। अपीलार्थीया द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसका निस्तारण दिनांक 11.10.2017 को किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट गायत्री देवी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट संख्या 205/2018 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त दायर रिट का निर्णय दिनांक 12.11.2018 को किया जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.10.2017 को बहाल रखते हुए कोई हस्तक्षेप नहीं करने बाबत निर्णय पारित किया गया।

परिवादिया द्वारा दिनांक 03.05.2019 को परिवाद विरूद्ध गायत्री शर्मा पत्नी रत्नेन्द्र भारद्वाज अन्तर्गत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 व 2010 की धारा 5 के तहत समान तथ्यों के आधार पर मकान खाली करवाने का अनुतोष चाहे जाने बाबत पुनः प्रकरण पेश किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया द्वारा प्रकरण में एक अन्तिम निर्णय हो गया हो उन्ही तथ्यों पर पुनः प्रकरण प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण परिवाद परिवादीया विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2019 उचित है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है व इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.10.2017 की पालना सुनिश्चित की जावे। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया को पालनार्थ लौटाया जावे व आदेश की प्रति जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ़ को पालनार्थ एवं पक्षकारों को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 21.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़